आई०टी०
(4)
मनीष

पत्र संख्याः–ओ0/बि0मा0आ0–28/2016–................/

बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

फैक्स
स्पीड पोस्ट

प्रेषकः

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
सीतामढ़ी

पटना, दिनांक– जुलाई, 2016

विषयः– बिहार मानवाधिकार आयोग के वाद संख्या–BHRC/Comp. 1444/2015 दिनांक–09.06.2016 में पारित आदेश के आलोक में रून्नी सैदपुर (सीतामढ़ी) थाना काण्ड सं0–319/14 दिनांक–09.08.2014 में प्रत्येक पीड़ित मो0 शमशाद आलम एवं मो0 ईरशाद आलम, पिता–मो0 नसीम, ग्राम–कनहावा, थाना–बेला, जिला–सीतामढ़ी को अंतरिम राहत/मुआवजा के रूप में ₹50,000/– –₹50,000/– (पचास–पचास हजार रूपये) अर्थात कुल ₹1,00,000/– (एक लाख रूपये) मात्र अंतरिम राहत/मुआवजा के रूप में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा भुगतान/समंजन का आदेश/राज्यादेश संख्या–6702 दिनांक–18.7.2016 द्वारा स्वीकृत राशि के मुख्य शीर्ष–2235, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम मांग संख्या–22–उप शीर्ष–0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड–N2235602000011 विषय शीर्ष–3102 अनुग्रह अनुदान में वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि से कुल ₹1,00,000/– (एक लाख रूपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2. पीड़ित मो0 शमशाद आलम एवं मो0 ईरशाद आलम, जिला–सीतामढ़ी, को मुआवजा भुगतान करने हेतु जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को निम्नवत राशि आवंटित की जाती हैः–

वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को वर्त्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को कुल में आवंटित राशि
₹3,00,000/– (तीन लाख)	₹1,00,000/– (एक लाख)	₹4,00,000/– (चार लाख)

3. उक्त आवंटित राशि ₹1,00,000/– **(एक लाख रूपये)** मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप–मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रय मांग संख्या–22–उप शीर्ष–0011–मानवता के दृष्टिकोण से राहत विपत्र कोड–N2235602000011 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा यथा विषयांकित पीड़ितों मो0 शमशाद आलम एवं मो0 ईरशाद आलम को मुआवजा के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपलब्ध करायी जा रही है।

जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी कृपया यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा मुआवजा की राशि का भुगतान पीड़ितों की समुचित पहचान कर की गई है।

5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी होंगे।

6. उक्त राशि के निकासी जिला कोषागार, सीतामढ़ी से की जायगी।

7. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी की होगी।

8. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा पीड़ितों मो0 शमशाद आलम एवं मो0 ईरशाद आलम को उक्त राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/क्रॉस चेक के माध्यम से किया जाएगा।
9. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि का भुगतान प्रमाण पत्र/प्राप्ति रसीद गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को यथाशीघ्र निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
10. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा मात्र उक्त पीड़ितों मो0 शमशाद आलम एवं मो0 ईरशाद आलम को अंतरिम राहत/मुआवजा के रूप में भुगतान हेतु किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।
11. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाय तो उस राशि का प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।
12. इस आवंटनादेश को महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित किया जा रहा है।
13. इस आवंटन ओदश की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(आमिर सुबाहनी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः-.. **पटना, दिनांक- , 2016**

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

फैक्स
स्पीड-पोस्ट

ज्ञापांकः-.. **पटना, दिनांक- , 2016**

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सीतामढ़ी/वित्त विभाग-सह-बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः-.. **पटना, दिनांक- , 2016**

प्रतिलिपि :- उप सचिव, प्रशाखा "ए0", गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- ..../ पटना, दिनांक ...., 2016

प्रतिलिपि :- सहायक निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, 9 बेली रोड, पटना को उनके पत्रांक/वाद **BHRC/Comp. 1444/2015-21292** दिनांक-09.06.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः- 6732/ पटना, दिनांक- 19-7, 2016

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

19.7.16

सरकार के प्रधान सचिव